उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(प्रधान कार्यालय प्रबन्ध निदेशक)
अरण्य विकास भवन, 73 नेहरू रोड़, देहरादून 248001 दूरभाष 0135–2657610, फैक्स 0135–2655488

पत्रांक ए0 – 754 / रायल्टी निर्धारण (2022–23) / दिनांकः 23.05.2023

(ई–मेल द्वारा) संलग्न सहित

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषयः– वर्ष 2022–23 की रायल्टी रायल्टी दरों का निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वर्ष 2022–23 में वन प्रभागों द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आवंटित लौटों की रायल्टी निर्धारण हेतु उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या–507 / X-3-2013-8(27)2010 दिनांक 26.6.2013 में दी गयी निहित प्रक्रियानुसार वर्ष 2020–21 एंव 2021–22, विगत 02 वर्षों के प्रजातिवार विक्रय मूल्य के आंकड़े अंकेक्षित बैलेन्शीट के अनुसार उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा वर्ष 2022–23 की रायल्टी निर्धारण हेतु संलग्न कर निम्न विवरणानुसार प्रेषित किये जा रहे हैं:–

(अ)

सारणी–1	पश्चिमी वृत्त (खटीमा एवं सुरई रेंज सहित)।
सारणी–2	उत्तरी एवं दक्षिणी कुमॉऊ वृत्त।
सारणी–3	शिवालिक वृत्त।
सारणी–4	गढ़वाल / भागीरथी / यमुना वृत्त।
सारणी–5	कोमल काष्ठ प्रजातियों की रायल्टी दर (सम्पूर्ण राज्य हेतु)।
सारणी–6	यूकेलिप्टस की रायल्टी दर (सम्पूर्ण राज्य हेतु)।
सारणी–7	चीड़ गुलिया की रायल्टी दर (सम्पूर्ण राज्य हेतु)।
सारणी–8	चीड़ फर्राटा की रायल्टी दर (सम्पूर्ण राज्य हेतु)।

(ब)
1. उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वर्ष 2021–22 में क्षेत्रवार, प्रजातिवार विक्रय का विवरण।
2. उत्तराखण्ड वन विकास निगम के वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 का तुलनात्मक विवरण।
   वन विभाग के वृत्तवार औसत विक्रय दर का वर्ष, 2020–21 एवं 2021–22 का तुलनात्मक विवरण।
3. कोमल काष्ठ का औसत विकय दर का वर्ष, 2020–21 एवं 2021–22 का तुलनात्मक विवरण।
4. मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी की पत्र संख्या–148 / 8–2 (25) / रायल्टी निर्धारण (2021–22), दिनांक 26.08.2022 द्वारा जारी कार्यवृत्त के मद संख्या–06 में दिये गये निर्देशानुसार पश्चिमी वृत्त, खटीमा एवं सुरई रेंज सहित, दोनों क्षेत्रों के प्रकाष्ठ उत्पादन के आधार पर वर्ष 2021–22 की रायल्टी दरों का Weighted average लेते हुए रायल्टी निर्धारण।

रायल्टी निर्धारण हेतु संलग्न विवरण को वन विकास निगम की वैबसाईट **www.ukfdc.uk.gov.in** से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अतः अनुरोध है कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–507 / X-3-2013-8(27)2010 दिनांक 26.6.2013 के अनुसार एवं उत्तर प्रदेश शासन से पूर्व में निर्गत शासनादेशों में निहित प्रक्रियानुसार **विगत 02 वर्षों में हुई कमी / वृद्धि का संज्ञान लेते हुए कॉलम संख्या–06 में प्रस्तावित रायल्टी दर के अनुसार वर्ष 2022–23 की रायल्टी निर्धारण हेतु** वृत्तवार विवरण निर्धारित प्रारूप में इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है **कि रायल्टी निर्धारण हेतु बैठक की तिथि एवं समय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून से निर्धारित करवाकर सम्बन्धित अधिकारियों को भी सूचित करने का कष्ट करें।**

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(के0एम0 राव)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक ए0:–754 / तद्‌दिनॉकित।

प्रतिलिपिः–उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–507 / **X-3-2013-8(27)2010**दिनांक 26.6.2013 के क्रम में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।
2. महानिदेशक, प्रशिक्षण प्रबन्धन एंव अनुसंधान, उत्तराखण्ड।

संलग्नक :– यथोपरि

(के0एम0 राव)
प्रबन्ध निदेशक

सारणी–1

पश्चिमी वृत्त (खटीमा सुरई रेंज सहित)

क्र0सं0	प्रजाति	माप इकाई	वर्ष 2021–22 की निर्धारित रायल्टी दरों का Weighted Average प्रति इकाई (रू0 में)	विगत 02 वर्ष में हुई वृद्धि / कमी का प्रतिशत	वर्ष 2022–23 हेतु प्रस्तावित रायल्टी दर प्रति इकाई (रू0 में)
1	*2*	*3*	*7*	*5*	*6*
1-	साल	घ0मी0	**43530**	**-4.86**	**41414**
2-	शीशम	घ0मी0	**36531**	**-17.40**	**30175**
3-	सागौन	घ0मी0	**36038**	**-10.90**	**32110**
4-	असना / सैन	घ0मी0	**10424**	**2.13**	**10646**
5-	सॉदन	घ0मी0	**12489**	**11.24**	**14293**
6-	खैर	घ0मी0	**33706**	**-5.48**	**31859**
7-	कोकाट	घ0मी0	**6209**	**-10.43**	**5561**
8-	जामुन	घ0मी0	**6748**	**-2.15**	**6603**
9-	चीड़	घ0मी0	**4080**	**13.52**	**4632**
10-	बॉस	कौड़ी	**90.0**	**0**	**90**

Managing Director
Uttarakhand Forest Development
Corporation, Dehradun

सारणी–2

उत्तरी एवं दक्षिणी कुमायूँ वृत्तः

क्र0 सं0	प्रजाति	माप इकाई	वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित रायल्टी दर प्रति इकाई (रू0 में)	विगत 02 वर्ष में हुई वृद्धि/कमी का प्रतिशत	शासनादेश के अनुसार वर्ष 2022–23 हेतु प्रस्तावित रायल्टी दर प्रति इकाई (रू0 में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1-	चीड़	घ0मी0	**4076**	**13.52**	4627
2-	देवदार	घ0मी0	**6121**	**10.71**	6777
3-	कैल	घ0मी0	**340**	**0**	**340**
4-	सुरई	घ0मी0	**1405**	**29.21**	**1815**
5-	फर	घ0मी0	**922**	**0**	**922**
6-	साल	घ0मी0	**27703**	**-4.86**	**26357**
7-	शीशम	घ0मी0	**32515**	**-17.40**	**26857**
8-	जामुन	घ0मी0	**4235**	**-2.15**	**4144**
9-	सॉदन	घ0मी0	**4170**	**11.24**	**4639**
10-	असना/सैन	घ0मी0	**3774**	**2.13**	**3854**
11-	खैर	घ0मी0	**28614**	**-5.48**	**27046**
12-	कोकाट	घ0मी0	**3080**	**-10.43**	**2759**
13-	पेंचदार चीड़	घ0मी0	**1854**	**13.52**	**2105**
14-	अखरोट	घ0मी0	**18974**	**-10.43**	**16995**
15-	बांज,खर्सू, मौरू, फलयाट, तिलोज, कटीज, मवा, अंयार, बुरांस आदि प्रजाति जिनसे केवल जलौनी का ही उत्पादन होता है	घ0मी0	**1175**	**-10.43**	**1052**
16-	सागौन	घ0मी0	**23227**	**-10.90**	**20695**

Managing Director
Uttarakhand Forest Development
Corporation, Dehradun

सारणी– 3

शिवालिक वृत्त :

क्र0 सं0	प्रजाति	माप इकाई	वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित रायल्टी दर प्रति इकाई (रू0 में)	विगत 02 वर्ष में हुई वृद्धि / कमी का प्रतिशत	शासनादेश के अनुसार वर्ष 2022–23 हेतु प्रस्तावित रायल्टी दर प्रति इकाई रू0 में
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1-	साल	घ0 मी0	**25873**	**-13.42**	**22401**
2-	शीशम	घ0 मी0	**22013**	**-2.89**	**21377**
3-	सागौन	घ0 मी0	**14551**	**0.56**	**14632**
4-	जामुन	घ0 मी0	**5739**	**-18.86**	**4657**
5-	सॉदन	घ0 मी0	**9359**	**-22.49**	**7254**
6-	असना / सैन	घ0 मी0	**6164**	**29.85**	**8004**
7-	खैर	घ0 मी0	**33715**	**-9.59**	**30482**
8-	कोकाट	घ0 मी0	**5841**	**0.14**	**5849**
9-	चीड़	घ0 मी0	**2378**	**28.60**	**3058**
10-	देवदार	घ0 मी0	**5498**	**-19.53**	**4424**
11-	कैल	घ0 मी0	**4195**	**-0.38**	**4179**
12-	फर	घ0 मी0	**1584**	**28.61**	**2037**
13-	सुरई	घ0 मी0	**18**	**-1.42**	**18**
14-	बॉस	कौड़ी	**92**	**0**	**92**
15-	आम	घ0मी0	**8100**	**0.14**	**8111**
16-	बबूल	घ0मी0	**5894**	**0.14**	**5902**
17-	प्रोसिपिस	घ0मी0	**5033**	**0.14**	**5040**
18-	नीम	घ0मी0	**7910**	**0.14**	**7921**
19-	पीपल	घ0मी0	**7616**	**0.14**	**7627**

Managing Director
Uttarakhand Forest Development Corporation, Dehradun

सारणी – 4

गढ़वाल / भागीरथी / यमुना वृत्तः

क्र0 सं0	प्रजाति	माप इकाई	वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित रायल्टी दर प्रति इकाई (रू0 में)	विगत 02 वर्ष में हुई वृद्धि / कमी का प्रतिशत	शासनादेश के अनुसार वर्ष 2022–23 हेतु प्रस्तावित रायल्टी दर प्रति इकाई रू0 में
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1-	चीड़	घ0मी0	**2378**	**28.60**	**3058**
2-	देवदार	घ0मी0	**5498**	**-19.53**	**4424**
3-	कैल	घ0मी0	**4195**	**-0.38**	**4179**
4-	फर	घ0मी0	**1584**	**28.61**	**2037**
5-	सुरई	घ0मी0	**18**	**-1.42**	**18**
6-	साल	घ0मी0	**25866**	**-13.42**	**22395**
7-	शीशम	घ0मी0	**22013**	**-2.89**	**21377**
8-	सागौन	घ0मी0	**14551**	**0.56**	**14632**
9-	जामुन	घ0मी0	**5739**	**-18.86**	**4657**
10-	सॉदन	घ0मी0	**9280**	**-22.49**	**7193**
11-	असना / सैन	घ0मी0	**6164**	**29.85**	**8004**
12-	खैर	घ0मी0	**33715**	**-9.59**	**30482**
13-	कोकाट	घ0मी0	**5841**	**0.14**	**5849**
14-	बांज, खर्सू, मौरू, फलयाट, तिलोज, कटीज, मवा, अंयार, बुरांस आदि प्रजाति जिनसे केवल जलौनी का ही उत्पादन होता है	घ0मी0	**1618**	**0.14**	**1620**
15-	बॉस	कौडी	**92**	**0**	**92**
16-	आम	घ0मी0	**8100**	**0.14**	**8111**
17-	बबूल	घ0मी0	**5894**	**0.14**	**5902**
18-	प्रोसिपिस	घ0मी0	**5033**	**0.14**	**5040**
19-	नीम	घ0मी0	**7910**	**0.14**	**7921**
20-	पीपल	घ0मी0	**7616**	**0.14**	**7627**

UNIYAL SIR\ROYALTY NIRDHARAN\Royalty Nirdharan 2020-21

Managing Director
Uttarakhand Forest Development
Corporation, Dehradun

सारणी–5

कोमल काष्ठ प्रजातियों के रायल्टी दर (सम्पूर्ण राज्य हेतु)

क्र0 सं0	प्रजाति	माप इकाई	वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित रायल्टी दर प्रति इकाई (रू0 में)	विगत 02 वर्ष में हुई वृद्धि/कमी का प्रतिशत	शासनादेश के अनुसार वर्ष 2022–23 हेतु प्रस्तावित रायल्टी दर प्रति इकाई रू0 में
1	2	3	4	5	6
1.	हल्दू	घ0 मी0	**17431**	**-12.03**	**15334**
2.	फल्दू	घ0 मी0	**6043**	**0.47**	**6071**
3.	कन्जू	घ0 मी0	**2614**	**37.28**	**3588**
4.	पापुलर	घ0 मी0	**2177**	**171.68**	**5914**
5.	सेमल	घ0 मी0	**2607**	**15.62**	**3014**
6.	एलन्थस	घ0 मी0	**1354**	**-40.69**	**803**
7.	मलवरी	घ0 मी0	**4134**	**0**	**4134**
8.	गुटेल	घ0 मी0	**1156**	**7.91**	**1247**
9.	तुन	घ0 मी0	**13376**	**17.74**	**15749**
10.	सीरस	घ0 मी0	**9437**	**-9.64**	**8527**
11.	बाकुली	घ0 मी0	**9312**	**-1.43**	**9179**
12.	बहेड़ा	घ0 मी0	**1309**	**-12.61**	**1144**
13.	झींगन	घ0 मी0	**1425**	**12.21**	**1599**
14.	बौरंग	घ0 मी0	**1223**	**12.28**	**1373**
15.	बरगद	घ0 मी0	**130**	**0**	**130**
16.	ढाक	घ0 मी0	**3264**	**89.65**	**6190**
17.	खरपट	घ0 मी0	**10454**	**10.07**	**11507**
18.	पेपर मलवरी	घ0 मी0	**604**	**49.69**	**904**
19.	गोजिना	घ0 मी0	**495**	**13.17**	**560**
20.	गूलर	घ0 मी0	**411**	**47.88**	**608**
21.	पूला	घ0 मी0	**1146**	**-16.90**	**952**
			"ख"		
22.	पुतली	घ0 मी0	**2116**	**0**	**2116**
23.	मैपल	घ0 मी0	**2116**	**0**	**2116**
24.	ऊतीस	घ0 मी0	**2116**	**0**	**2116**
25.	अंगू	घ0 मी0	**2116**	**0**	**2116**

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

सारणी–6

शासनादेश संख्या 133/14–2–95–500441/1993 दिनांक 27 मार्च 1995 के अनुसार वर्ष 2022–23 हेतु यूकेलिप्टस की रायल्टी निर्धारण गणना:–

क. सं.	वर्ष	वर्ष 2021–22 में वन निगम द्वारा प्राप्त औसत विक्रय मूल्य (रू0 में)		विक्रय मूल्य का 55 प्रतिशत रायल्टी के रूप में वन विभाग को देय (रू0 में)	
		प्रति घ0मी0 (क्वाटर गर्थ)	प्रति वाल्यूम मीट्रिक टन	प्रति वाल्यूम मीट्रिक टन	प्रति घ0मी0 (सिलिन्ड्रकल आयतन)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	2022-23	6956.10	7,742.13	4,258.17	**3,007.00**

सारणी–7

चीड़ गुलिया की रायल्टी दर (सम्पूर्ण राज्य हेतु)

क्र0 सं0	प्रजाति	माप इकाई	वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित रायल्टी दर प्रति इकाई (रू0 में)	विगत 02 वर्ष में हुई वृद्धि/कमी का प्रतिशत	शासनादेश के अनुसार वर्ष 2022–23 हेतु प्रस्तावित रायल्टी दर प्रति इकाई रू0 में
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	चीड़ गुलिया	घ0 मी0	**2085.00**	**5.17**	**2193.00**

सारणी–8

चीड़ फर्राटा रायल्टी दर (सम्पूर्ण राज्य हेतु)

क्र0 सं0	प्रजाति	माप इकाई	वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित रायल्टी दर प्रति इकाई (रू0 में)	विगत 02 वर्ष में हुई वृद्धि/कमी का प्रतिशत	शासनादेश के अनुसार वर्ष 2022–23 हेतु प्रस्तावित रायल्टी दर प्रति इकाई रू0 में
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	चीड़ फर्राटा	घ0 मी0	**1000**	**0-**	**1000**

प्रबन्ध निदेशक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून

UNIYAL SIR\ROYALTY NIRDHARAN\Royalty Nirdharan 2020-21

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक के आय/व्ययों का विवरण:–

मात्रा–हजार में धनराशि –लाख में

वित्तीय वर्ष	प्रजाति	वित्तीय वर्ष में बिक्री व अन्य मदों से प्राप्त कुल राजस्व	वित्तीय वर्ष में कुल आंगणित उत्पादन एवं वास्तविक उत्पादन का अंतर (+ व –)	वित्तीय वर्ष में प्रकाष्ठ व अन्य वन उपज के विदोहन, वृक्षारोपण व विभिन्न व्ययों में कुल व्यय		वित्तीय वर्ष में कार्मिकों के वेतन भत्तों, कार्यालय व्यय व अन्य मदों में कुल व्यय		योग	वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ/हानि	वित्तीय वर्ष में कुल भुगतान की गई रायल्टी	
				कुल व्यय	कॉलम–3 के सापेक्ष प्रतिशत	कुल व्यय	कॉलम–3 के सापेक्ष प्रतिशत			रायल्टी	कॉलम–3 के सापेक्ष प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	(5+7) 9	10	11	12
2017-18	प्रकाष्ठ आदि	37132.926	-	22250.285	59.92%	19332.971	52.06%	41583.256	-4450.34	15245.19	41.06%
	उपखनिज	26394.97	-	17563.203	66.54%	5127.41	19.43%	22690.61	3704.36	10585.6	40.10%
	योग	**63527.896**	-	**39813.488**	**62.67%**	**24460.381**	**38.50%**	**64273.866**	**-745.98**	**25830.79**	**40.66%**
2018-19	प्रकाष्ठ आदि	43891.83	-11.749	26921.18	61.34%	20797.68	47.38%	47718.86	-3827.03	19849.06	45.22%
	उपखनिज	29563.9	-	19914.18	67.36%	4234.46	14.32%	24148.64	5415.26	11486.5	38.85%
	योग	**73455.73**	**-11.749**	**46835.36**	**63.76%**	**25032.14**	**34.08%**	**71867.5**	**1588.23**	**31335.56**	**42.66%**
2019-20	प्रकाष्ठ आदि	58295.695	-12.587	39916.027	68.47%	16398.783	28.13%	56314.81	1980.885	32395.075	55.57%
	उपखनिज	24446.592	-	13742.253	56.21%	3379.059	13.82%	17121.312	7325.28	8269.232	33.83%
	योग	**82742.287**	**-12.587**	**53658.28**	**64.85%**	**19777.842**	**23.90%**	**73436.122**	**9306.165**	**40664.307**	**49.15%**
2020-21	प्रकाष्ठ आदि	56952.089	-	41920.311	73.61%	18573.398	32.61%	60493.709	-1117.655	31242.89	54.86%
	उपखनिज	26210.267	-	16385.016	62.51%	3842.677	14.66%	20227.693	5982.574	10154.699	38.74%
	योग	**83162.356**	-	**58305.327**	**70.11%**	**22416.075**	**26.95%**	**80721.402**	**4864.919**	**41397.589**	**49.78%**
2021-22	प्रकाष्ठ आदि	63959.803	-	33668.741	52.64%	16332.376	25.54%	50001.117	4863.786	26570.776	41.54%
	उपखनिज	22355.857	-	13325.153	59.60%	4190.886	18.75%	17516.039	4839.818	11174.367	49.98%
	योग	**83162.356**	-	**58305.327**	**70.11%**	**22416.075**	**26.95%**	**80721.402**	**4864.919**	**41397.589**	**49.78%**

Managing Director
Uttarakhand Forest Development
Corporation, Dehradun

उत्तराखण्ड वन विकास निगम,देहरादून
वर्ष 2021–2022 में क्षेत्रवार, प्रजातिवार बिक्री का विवरण

(मात्रा–घ0मी0 में, धनराशि–रू0 में)

प्रजाति	टिहरी क्षेत्र		गढ़वाल क्षेत्र		पश्चिमी क्षेत्र		कुमाऊँ क्षेत्र		कुल योग		दर प्रति घ0मी0
	मात्रा+STR	धनराशि	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि	
चीड़	15833.5538	97740838.00	3159.1640	20288402.00	37.5271	312801.00	11709.0298	114040127.00	**30739.2747**	**232382168.00**	7559.78
देवदार	7024.6415	104580071.00	162.7407	2628940.00			119.4140	3007493.00	**7306.7962**	**110216504.00**	15084.11
कैल	5596.0166	67181055.00	223.6639	2842650.00					**5819.6805**	**70023705.00**	12032.22
फर	22904.8163	184371819.00	1325.0106	9454300.00					**24229.8269**	**193826119.00**	7999.48
सुरई	42.8674	296000.00	40.3690	279950.00			11.5562	124521.00	**94.7926**	**700471.00**	7389.51
साल	7354.4172	167571311.00	1737.0148	22850141.00	2173.0325	58708192.00	14960.7533	521602837.00	**26225.2178**	**770732481.00**	29388.98
शीशम	333.4587	5516550.00	888.3952	18115285.00	5240.7933	103856394.98	4894.8769	110698218.99	**11357.5241**	**238186448.97**	20971.69
सागौन	443.4020	18674059.00	417.5940	11039074.00	17340.5230	583272821.83	56960.2596	1666186462.71	**75161.7786**	**2279172417.54**	30323.56
खैर	325.3473	12160300.00	2555.5037	108332300.00	12436.9068	542774496.00	5194.1760	252010881.80	**20511.9338**	**915277977.80**	44621.73
सैन / असना	396.9650	6174960.00	314.1305	3387885.00	70.7287	699029.00	2202.3852	24685495.84	**2984.2094**	**34947369.84**	11710.76
सांदन	8.3858	87400.00	615.2192	6364328.00	109.3988	1332194.00	1.6061	19800.00	**734.6099**	**7803722.00**	10622.95
जामुन	49.0656	312850.00	262.9134	1398407.00	135.3051	888286.50	5683.6734	56780369.00	**6130.9575**	**59379912.50**	9685.26
कोकाट	266.9975	1490500.00	871.0992	4239132.00	11600.7056	51488672.14	5512.5792	26091943.65	**18251.3815**	**83310247.79**	4564.60
युकेलिप्टस	1226.4503	11165076.00	3403.0661	27850650.00	17512.3577	112219749.81	13412.7580	96085990.08	**35554.6321**	**247321465.89**	6956.10
पीपल	1.3111	2300.00	12.2414	43450.00					**13.5525**	**45750.00**	3375.76
फर्राटा									**0.0000**	**0.00**	#DIV/0!
चीड़ गुलिया	1167.2230	22261100.00							**1167.2230**	**22261100.00**	19071.85
बास (कोड़ी में)	510.5000	52274.00							**510.5000**	**52274.00**	102.40
योग	**63485.4191**	**699638463.00**	**15988.1257**	**239114894.00**	**66657.2786**	**1455552637.26**	**120663.0677**	**2871334140.07**	**266793.8911**	**5265640134.33**	

Managing Director
Uttarakhand Forest Development
Corporation, Dehradun

D:\New Folder2022\All Letter\UNIYAL SIR\ROYALTY NIRDHARAN\Royalty Nirdharan 2023-24\Ryalti Nirdaran 2021 22

उत्तराखण्ड वन विकास निगम,देहरादून

वर्ष 2021–2022 में क्षेत्रवार, प्रजातिवार बिक्री का विवरण

(मात्रा–घ0मी0 में, धनराशि–रू0 में)

	टिहरी क्षेत्र		गढ़वाल क्षेत्र		पश्चिमी क्षेत्र		कुमाऊँ क्षेत्र		कुल योग		दर प्रति घ0मी0
प्रजाति	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि	
जलौनी	4408.2357	6307888.00	3952.5606	3608409.00	38629.4593	2350438.35	39369.5020	30866733.49	**86359.7576**	**43133468.84**	**499.46**
जड	381.6834	270750.00	4400.7390	3555000.00	73848.9851	55772798.43	101972.1515	102429946.00	**180603.5590**	**162028494.43**	**897.15**
कोयला (कु0)					23.4900	35235.00			**23.4900**	**35235.00**	**1500.00**
यू0के0लि0 पत्ती (कु0)									**0.0000**	**0.00**	**#DIV/0!**
थाम, रिंगाल									**0.0000**	**0.00**	**#DIV/0!**
मौस / झुला घास									**0.0000**	**0.00**	**#DIV/0!**
बक्कल					773.6500	61655.00			**773.6500**	**61655.00**	**79.69**
देवदार चिप्स									**0.0000**	**0.00**	**#DIV/0!**
योग	**4789.9191**	**6578638.00**	**8353.2996**	**7163409.00**	**113275.5844**	**58220126.78**	**141341.6535**	**133296679.49**	**267760.4566**	**205258853.27**	**766.58**

Managing Director
Uttarakhand Forest Development
Corporation, Dehradun

उत्तराखण्ड वन विकास निगम,देहरादून

वर्ष 2021–2022 में विक्रय किये गये कोमल काष्ठ का क्षेत्रवार विवरण

(मात्रा–घ0मी0 में, धनराशि–रू0 में)

प्रजाति	टिहरी क्षेत्र		गढ़वाल क्षेत्र		पश्चिमी क्षेत्र		कुमाऊँ क्षेत्र		कुल योग		दर प्रति घ0मी0
	मात्रा+STR	धनराशि	मात्रा+STR	धनराशि	मात्रा+STR	धनराशि	मात्रा+STR	धनराशि	मात्रा+STR	धनराशि	
हल्दू	23.4724	281150.00	58.3732	778253.00	310.7150	3466486.00	282.3212	3002236.41	674.8818	7528125.41	**11154.73**
फल्दू			12.0922	50700.00	64.3613	437557.00	44.2422	321496.75	120.6957	809753.75	**6709.05**
कंजू	284.8796	1489000.00	305.5179	1769335.00	11642.5036	89494760.30	1151.0313	14972336.20	13383.9324	107725431.50	**8048.86**
सेमल	38.4178	140700.00	73.3204	242932.00	3267.4406	22347228.25	4060.3779	20149158.08	7439.5567	42880018.33	**5763.79**
गुटेल	0.5232	1000.00			6920.1735	37486248.00	5113.0331	28059256.40	12033.7298	65546504.40	**5446.90**
तुन	102.6497	1497000.00	130.4891	1875205.25	452.4726	6232781.60	603.8403	8124770.40	1289.4517	17729757.25	**13749.84**
सीरस	9.3856	88700.00	74.1397	623228.00	1697.4590	13986581.20	901.8668	7795278.53	2682.8511	22493787.73	**8384.28**
बाकुली	23.4182	96350.00	82.7786	418572.00	169.2875	901030.00	30.3757	149843.00	305.8600	1565795.00	**5119.32**
बहेड़ा	18.0540	52057.00	28.3204	100000.00	49.6345	224306.05	14.6578	43317.00	110.6667	419680.05	**3792.29**
झींगन	14.9931	36443.00	47.6517	127687.00	580.1464	2374545.51	168.5921	620469.00	811.3833	3159144.51	**3893.53**
बरगद	0.8993	1600.00	7.7137	31500.00	3.4894	6014.00	2.1430	2813.00	14.2454	41927.00	**2943.20**
खरपट			0.5699	3600.00	151.4900	656037.25	65.5912	267002.00	217.6511	926639.25	**4257.45**
गुलर	2.5984	4400.00	1.2620	2300.00	173.4648	705293.00	25.8820	68662.00	203.2072	780655.00	**3841.67**
एलेन्थस			2.0878	12500.00	1532.7578	6072014.75	12.3682	54285.00	1547.2138	6138799.75	**3967.65**
ढाक	4.3642	6900.00	15.5223	39900.00	218.9823	1490639.00	16.5511	48825.00	255.4199	1586264.00	**6210.42**
गौजीना					0.7182	2037.00			0.7182	2037.00	**2836.26**
पुला					83.5379	217476.00			83.5379	217476.00	**2603.32**
बौरंग					2.6281	7663.00	1.1719	200.00	3.8000	7863.00	**2069.21**
उतीस			6.1184	33100.00					6.1184	33100.00	**5409.91**
मरलबरी									0.0000	0.00	**#DIV/0!**
शहतूत	0.9456	2150.00							0.9456	2150.00	**2273.69**
पेपरमलबरी	8.5753	17450.00	0.5606	1800.00	190.1231	724415.00	28.4869	55167.00	227.7459	798832.00	**3507.56**
योग	**533.1764**	**3714900.00**	**846.5179**	**6110612.25**	**27511.3856**	**186833112.91**	**12522.5327**	**83735115.77**	**41413.6126**	**280393740.93**	**6770.57**
पौपलर	2.5801	5900.00			6216.5586	133421926.00	0.0000	0.00	6219.1387	133427826.00	**21454.39**
कुल योग	**535.7565**	**3720800.00**	**846.5179**	**6110612.25**	**33727.9442**	**320255038.91**	**12522.5327**	**83735115.77**	**47632.7513**	**413821566.93**	**8687.75**

Managing Director
Uttarakhand Forest Development
Corporation, Dehradun

UTTARAKHAND FOREST DEVELOPMENT CORPORATION DEHRADUN

Comparative Statement of Sale Price of Various Species during the Year 2020-21 & 2021-22

(Rupees per cubic meter)

S.N.	Species	Unit	Western Circle		Difference %	Kumaon Circle		Difference %	Shivalik Garhwal Cricle		Difference %	Yamuna Bhagirathi Circle		Difference %
			2020-21	2021-22		2020-21	2021-22		2020-21	2021-22		2020-21	2021-22	
1	Sal	cum.	35600.35	33869.40	-4.86				24190.89	20945.15	-13.42			
2	Sisham	cum.	25627.25	21168.27	-17.40				19915.75	19340.97	-2.89			
3	Sagon	cum.	33979.12	30275.04	-10.90				34317.37	34510.19	0.56			
4	Asana	cum.	10933.86	11167.29	2.13				10356.45	13448.05	29.85			
5	Jamun	cum.	10128.00	9910.44	-2.15				6760.11	5485.17	-18.86			
6	Kokat	cum.	5061.16	4533.36	-10.43				5027.42	5034.40	0.14			
7	Khair	cum.	47690.08	45078.65	-5.48				46259.66	41825.35	-9.59			
8	Sandan	cum.	10948.58	12179.59	11.24				13347.74	10345.86	-22.49			
9	Chir	cum.				8575.35	9735.02	13.52				4832.35	6214.45	28.60
10	Deodar	cum.				22749.25	25185.43	10.71				18537.10	14916.28	-19.53
11	Kail	cum.				18816.52		0.00				12078.02	12032.22	-0.38
12	Fir	cum.										6220.07	7999.48	28.61
13	Surai	cum.				8339.44	10775.25	29.21				7018.78	6919.45	-1.42

Managing Director
Uttarakhand Forest Developm...
Corporation, Dehradun

उत्तराखण्ड वन विकास निगम,देहरादून

वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 में रायल्टी निर्धारण हेतु विक्रय किये गये कोमल काष्ठ का तुलनात्मक विवरण

प्रजाति	इकाई	2020–21		दर प्रति घ0मी0	2021–22		दर प्रति घ0मी0	वर्ष 2020–21 की तुलना में कमी/वृद्वि का प्रतिशत
		मात्रा	धनराशि		मात्रा	धनराशि		
हल्दू	घ0मी0	411.7479	5220734.00	12679.44	674.8818	7528125.41	11154.73	-12.03
फल्दू	घ0मी0	70.2587	469144.00	6677.38	120.6957	809753.75	6709.05	0.47
कंजू	घ0मी0	23837.3909	139760889.00	5863.10	13383.9324	107725431.50	8048.86	37.28
सेमल	घ0मी0	13999.9687	69791675.00	4985.13	7439.5567	42880018.33	5763.79	15.62
गुटेल	घ0मी0	18455.7019	93154959.00	5047.49	12033.7298	65546504.40	5446.90	7.91
तुन	घ0मी0	1319.0128	15403512.00	11678.06	1289.4517	17729757.25	13749.84	17.74
सीरस	घ0मी0	523.2723	4855516.00	9279.14	2682.8511	22493787.73	8384.28	-9.64
बाकुली	घ0मी0	321.8392	1671423.00	5193.35	305.8600	1565795.00	5119.32	-1.43
बहेड़ा	घ0मी0	63.0183	273472.00	4339.56	110.6667	419680.05	3792.29	-12.61
झींगन	घ0मी0	322.0688	1117560.00	3469.94	811.3833	3159144.51	3893.53	12.21
बरगद	घ0मी0	0.0000	0.00	0.00	14.2454	41927.00	2943.20	-
खरपट	घ0मी0	99.0565	383149.00	3867.98	217.6511	926639.25	4257.45	10.07
गुलर	घ0मी0	108.3902	281572.00	2597.76	203.2072	780655.00	3841.67	47.88
एलेन्थस	घ0मी0	659.9166	4414701.00	6689.79	1547.2138	6138799.75	3967.65	-40.69
ढाक	घ0मी0	390.9467	1280204.00	3274.63	255.4199	1586264.00	6210.42	89.65
गौजीना	घ0मी0	10.2589	25710.00	2506.12	0.7182	2037.00	2836.26	13.17
पूला	घ0मी0	9.4099	29478.00	3132.66	83.5379	217476.00	2603.32	-16.90
बौरंग	घ0मी0	1.5790	2910.00	1842.94	3.8000	7863.00	2069.21	12.28
मरलबरी	घ0मी0	2.9289	9700.00	3311.82	0.0000	0.00	-	-
शहतूत		0.0000	0.00	0.00	0.9456	2150.00	-	-
पेपरमलबरी	घ0मी0	109.6000	256819.00	2343.24	227.7459	798832.00	3507.56	49.69
योग		**60716.3662**	**338403127.00**	-	**41407.4942**	**280360640.93**	-	
पौपलर	घ0मी0	4257.5188	33621233.00	7896.91	6219.1387	133427826.00	21454.39	171.68
कुल योग		**64973.8850**	**372024360.00**	**5725.75**	**47626.6329**	**413788466.93**	**8688.17**	51.74
यूकेलिप्टस		41806.9252	337982347.00	8084.36	35554.6321	247321465.89	6956.10	-13.96

Managing Director
Uttarakhand Forest Development Corporation, Dehradun

UTTARAKHAND FOREST DEVELOPMENT CORPORATION DEHRADUN
Comparative Statement of Sale Price of Various Species Obtained for the Year 2020-21 & 2021-22
Circle - Kumaon

(Rupees per cubic meter)

S.N.	Species	Region	Unit	2020-21		Rate/cum.	2021-22		Rate/cum.	% Increase & Decrease Relative to Year 2020-21
				Quantity	Amount		Quantity	Amount		
1	Chir	Kumaon	Cum.	11714.7185	100457120.00		11709.0298	114040127.00		
		Western		1.4884	13483.00		37.5271	312801.00		
		Total		**11716.2069**	**100470603.00**	**8575.35**	**11746.5569**	**114352928.00**	**9735.02**	**13.52**
2	Deodar	Kumaon	Cum.	185.9712	4230706.00		119.4140	3007493.00		
		Western								
		Total		**185.9712**	**4230706.00**	**22749.25**	**119.4140**	**3007493.00**	**25185.43**	**10.71**
3	Kail	Kumaon	Cum.	3.3714	63438.00					
		Western								
		Total		**3.3714**	**63438.00**	**18816.52**	**0.0000**	**0.00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
4	Fir	Kumaon	Cum.							
		Western								
		Total		**0.0000**	**0.00**	**#DIV/0!**	**0.0000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5	Surai	Kumaon	Cum.	19.6560	163920.00		11.5562	124521.00		
		Western								
		Total		**19.6560**	**163920.00**	**8339.44**	**11.5562**	**124521.00**	**10775.25**	**29.21**
6	Gulia	Kumaon	Cum.							
		Western								
		Tehri		821.8580	11410200.00		1167.2230	22261100.00		
		Garhwal		1266.9026	26467570.00					
		Total		**2088.7606**	**37877770.00**	**18134.09**	**1167.2230**	**22261100.00**	**19071.85**	**5.17**

Managing Director
Uttarakhand Forest Development
Corporation, Dehradun

UTTARAKHAND FOREST DEVELOPMENT CORPORATION DEHRADUN

Comparative Statement of Sale Price of Various Species during Year 2020-21 & 2021-22

Circle - Yamuna, Bhagirathi& Garhwal (For Broad Leave of Lansdown)

(Rupees per cubic meter)

S.N.	Species	Region	Unit	2020-21		Rate/cum.	2021-22		Rate/cum.	% Increase & Decrease Relative to Year 2020-21
				Quantity	Amount		Quantity	Amount		
1	Chir	Tehri	Cum.	19783.6511	94304550.00		15833.5538	97740838.00		
		Garhwal		1442.8422	8269260.00		3159.1640	20288402.00		
	Total			**21226.4933**	**102573810.00**	**4832.35**	**18992.7178**	**118029240.00**	**6214.45**	**28.60**
2	Deodar	Tehri	Cum.	5015.2357	92953608.00		7024.6415	104580071.00		
		Garhwal		15.3325	298533 00		162.7407	2628940.00		
	Total			**5030.5682**	**93252141.00**	**18537.10**	**7187.3822**	**107209011.00**	**14916.28**	**-19.53**
3	Kail	Tehri	Cum.	6263.9734	75669400.00		5596.0166	67181055.00		
		Garhwal		16.9992	192300 00		223.6639	2842650.00		
	Total			**6280.9726**	**75861700.00**	**12078.02**	**5819.6805**	**70023705.00**	**12032.22**	**-0.38**
4	Fir	Tehri	Cum.	21942 8340	136591468 00		22904.8163	184371819.00		
		Garhwal		820.5878	4998600 00		1325.0106	9454300.00		
	Total			**22763.4218**	**141590068.00**	**6220.07**	**24229.8269**	**193826119.00**	**7999.48**	**28.61**
5	Surai	Tehri	Cum.	3.5686	31400.00		42.8674	296000.00		
		Garhwal		10.2301	65450.00		40.3690	279950.00		
	Total			**13.7987**	**96850.00**	**7018.78**	**83.2364**	**575950.00**	**6919.45**	**-1.42**

Managing Director
Uttarakhand Forest Development
Corporation, Dehradun

UTTARAKHAND FOREST DEVELOPMENT CORPORATION DEHRADUN
Comparative Statement of Sale Price of Various Species during Year 2020-21 & 2021-22
Circle - Shivalik & Garhwal (For Broad Leave of Lansdown)

(Rupees per cubic meter)

S.N.	Species	Region	Unit	2020-21 Quantity	2020-21 Amount	Rate/cum.	2021-22 Quantity	2021-22 Amount	Rate/cum.	% Increase & Decrease Relative to Year 2020-21
1	Sal	Tehri	Cum.	6312.7860	155720578.00		7354.4172	167571311.00		
		Garhwal		494.7805	8960482.00		1737.0148	22850141.00		
		Total		**6807.5665**	**164681060.00**	**24190.89**	**9091.4320**	**190421452.00**	**20945.15**	**-13.42**
2	Sisham	Tehri	Cum.	757.0431	12807700.00		333.4587	5516550.00		
		Garhwal		941.5746	21021539.00		888.3952	18115285.00		
		Total		**1698.6177**	**33829239.00**	**19915.75**	**1221.8539**	**23631835.00**	**19340.97**	**-2.89**
3	Sagon	Tehri	Cum.	416.0096	15207928.00		443.4020	18674059.00		
		Garhwal		190.1521	5593950.00		417.5940	11039074.00		
		Total		**606.1617**	**20801878.00**	**34317.37**	**860.9960**	**29713133.00**	**34510.19**	**0.56**
4	Jamun	Tehri	Cum.	38.5514	268275.00		49.0656	312850.00		
		Garhwal		179.4437	1205395.00		262.9134	1398407.00		
		Total		**217.9951**	**1473670.00**	**6760.11**	**311.9790**	**1711257.00**	**5485.17**	**-18.86**
5	Sandan	Tehri	Cum.	17.7765	203100.00		8.3858	87400.00		
		Garhwal		422.4088	5672381.00		615.2192	6364328.00		
		Total		**440.1853**	**5875481.00**	**13347.74**	**623.6050**	**6451728.00**	**10345.86**	**-22.49**
6	Asna/Sain	Tehri	Cum.	995.8114	10351000.00		396.9650	6174960.00		
		Garhwal		123.9733	1245994.00		314.1305	3387885.00		
		Total		**1119.7847**	**11596994.00**	**10356.45**	**711.0955**	**9562845.00**	**13448.05**	**29.85**
7	Kokat	Tehri	Cum.	216.2904	1182350.00		266.9975	1490500.00		
		Garhwal		560.3344	2722066.00		871.0992	4239132.00		
		Total		**776.6248**	**3904416.00**	**5027.42**	**1138.0967**	**5729632.00**	**5034.40**	**0.14**
8	Khair	Tehri	Cum.	89.3546	4451050.00		325.3473	12160300.00		
		Garhwal		934.4468	42909650.00		2555.5037	108332300.00		
		Total		**1023.8014**	**47360700.00**	**46259.66**	**2880.8510**	**120492600.00**	**41825.35**	**-9.59**
9	Bamboo	Tehri	Scores							
		Garhwal								
		Total		**0.0000**	**0.00**	**#DIV/0!**	**0.0000**	**0.00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
10	Bailb Grass	Tehri	Qtl.							
		Garhwal								
		Total		**0.0000**	**0.00**	**0.00**	**0.0000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Managing Director
Uttarakhand Forest Development Corporation Dehradun

UTTARAKHAND FOREST DEVELOPMENT CORPORATION DEHRADUN

Comparative Statement of Sale Price of Various Species during the Year 2020-21 & 2021-22 (Circle - Western)

(Rupees per cubic meter)

S.N.	Species	Region	Unit	2020-21 Quantity	2020-21 Amount	Rate/cum.	2021-22 Quantity	2021-22 Amount	Rate/cum.	% Increase & Decrease Relative to Year 2020-21
1	Sal	Western		2276.0301	70801816.00		2173.0325	58708192.00		
		Kumaon		6080.3462	226688093.00		14960.7533	521602837.00		
		Total		**8356.3763**	**297489909.00**	**35600.35**	**17133.7858**	**580311029.00**	**33869.40**	**-4.86**
2	Sisham	Western	Cum.	3548.5239	87603364.00		5240.7933	103856394.98		
		Kumaon		1904.0684	52131581.00		4894.8769	110698218.99		
		Total		**5452.5923**	**139734945.00**	**25627.25**	**10135.6702**	**214554613.97**	**21168.27**	**-17.40**
3	Sagon	Western	Cum.	8226.9078	242269659.00		17340.5230	583272821.83		
		Kumaon		24779.4428	879256925.00		56960.2596	1666186462.71		
		Total		**33006.3506**	**1121526584.00**	**33979.12**	**74300.7826**	**2249459284.54**	**30275.04**	**-10.90**
4	Jamun	Western	Cum.	146.6764	1118028.00		135.3051	888286.50		
		Kumaon		2174.7469	22393340.00		5683.6734	56780369.00		
		Total		**2321.4233**	**23511368.00**	**10128.00**	**5818.9785**	**57668655.50**	**9910.44**	**-2.15**
5	Sandan	Western	Cum.	50.6889	557095.00		109.3988	1332194.00		
		Kumaon		1.2626	11700.00		1.6061	19800.00		
		Total		**51.9515**	**568795.00**	**10948.58**	**111.0049**	**1351994.00**	**12179.59**	**11.24**
6	Asna/Sain	Western	Cum.	113.3763	1190816.00		70.7287	699029.00		
		Kumaon		184.5076	2066206.00		2202.3852	24685495.84		
		Total		**297.8839**	**3257022.00**	**10933.86**	**2273.1139**	**25384524.84**	**11167.29**	**2.13**
7	Kokat	Western	Cum.	5696.5770	24427448.00		11600.7056	51488672.14		
		Kumaon		2641.7395	17774112.00		5512.5792	26091943.65		
		Total		**8338.3165**	**42201560.00**	**5061.16**	**17113.2848**	**77580615.79**	**4533.36**	**-10.43**
8	Khair	Western	Cum.	9318.6004	434803895.00		12436.9068	542774496.00		
		Kumaon		7753.4401	379363116.00		5194.1760	252010881.80		
		Total		**17072.0405**	**814167011.00**	**47690.08**	17631.0828	**794785377.80**	**45078.65**	**-5.48**
9	Bamboo	Western	Scores							
		Kumaon		138.0000	8178.00					
		Total		**138.0000**	**8178.00**	**0.00**	0.0000	0.00	**0.00**	**0.00**
10	Bailb Grass	Western	Qtl							
		Kumaon								
		Total		**0.0000**	**0.00**	**0.00**	0.0000	0.00	**0.00**	**0.00**

Managing Director
Uttarakhand Forest Development
Corporation, Dehradun

वर्ष 2021-22 की रायल्टी निर्धारण कार्यवृत्त बिन्दु संख्या-06 के अनुपालन में पश्चिमी वृत्त एवं खटीमा सुरई की वर्ष 2021-22 की रायल्टी का Weighted Average प्रति इकाई का विवरण

क्र0सं0	प्रजाति	माप इकाई	पश्मिची क्षेत्र			कुमाऊँ क्षेत्र						कुल योग		रायल्टी दरों का Weighterd Average प्रति इकाई रू0 में
			पश्चिमी वृत्त			पश्चिमी वृत्त			खटीमा सुरई रेंज					
			वास्तविक उत्पादन (घ0मी0)	शासनादेश अनुसार वर्ष 2021-22 हेतु स्वीकृत रायल्टी दर प्रति इकाई रू0 में	धनराशि	वास्तविक उत्पादन (घ0मी0)	शासनादेश अनुसार वर्ष 2021-22 हेतु स्वीकृत रायल्टी दर प्रति इकाई रू0 में	धनराशि	वास्तविक उत्पादन (घ0मी0)	शासनादेश अनुसार वर्ष 2021-22 हेतु स्वीकृत रायल्टी दर प्रति इकाई रू0 में	धनराशि	वास्तविक उत्पादन (मात्रा घ0मी0 में)	धनराशि (रू0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	चीड़	घ0मी0	1.3600	4080.00	**5549.00**	1.8805	4080.0000	**7672.00**	-	-	**0.00**	**3.2405**	**13221.00**	**4080.00**
2	साल	घ0मी0	999.9668	47982.00	**47980407.00**	9613.0074	47982.00	**461251321.00**	4525.1406	33090.00	**149736902.00**	**15138.1148**	**658968630.00**	**43530.00**
3	शीशम	घ0मी0	2031.3048	37436.00	**76043926.00**	2558.6122	37436.00	**95784206.00**	316.0860	23382.00	**7390723.00**	**4906.0030**	**179218855.00**	**36531.00**
4	सागौन	घ0मी0	17977.1593	36691.00	**659599952.00**	21535.3605	36691.00	**790153912.00**	2679.7668	26416.00	**70788720.00**	**42192.2866**	**1520542584.00**	**36038.00**
5	खैर	घ0मी0	9105.8395	33873.00	**308442101.00**	5192.7582	33873.00	**175894299.00**	318.1685	26182.00	**8330288.00**	**14616.7662**	**492666688.00**	**33706.00**
6	असना	घ0मी0	12.4975	10863.00	**135760.00**	449.7448	10863.00	**4885578.00**	97.7093	8346.00	**815482.00**	**559.9516**	**5836820.00**	**10424.00**
7	सादन	घ0मी0	0.5710	12850.00	**7337.00**		12850.00	**0.00**	-	-	**0.00**	**0.5710**	**7337.00**	**12849.00**
8	जामुन	घ0मी0	332.5343	6518.00	**2167459.00**	4663.1735	6518.00	**30394565.00**	252.1042	11315.00	**2852559.00**	**5247.8120**	**35414583.00**	**6748.00**
9	कोकाट	घ0मी0	2602.8785	6269.00	**16317445.00**	1560.3106	6269.00	**9781587.00**	74.9768	2862.00	**214584.00**	**4238.1659**	**26313616.00**	**6209.00**
10	पौपलर	घ0मी0	4491.2871	2177.00	**9777532.00**			**0.00**	-	-	**0.00**	**4491.2871**	**9777532.00**	**2177.00**
11	यूकेलिप्टस	घ0मी0	31521.8111	3495.00	**110168730.00**	8627.2652	3495.00	**30152292.00**	18.3709	3495.00	**64206.00**	**40167.4472**	**140385228.00**	**3495.00**

Managing Director
Uttarakhand Forest Development
Corporation, Dehradun

संलग्नक-20

उत्तराखण्ड शासन

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3

संख्या– 507 /X–3–2013– 8(27)2010

देहरादूनः दिनांक– 26 जून, 2013

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक उत्तराँचल वन विकास निगम शिविर कार्यालय, देहरादून
प्र०क० 5496
दिनांक 27/7/13

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड वन विकास निगम को आबंटित वन उपज की रॉयल्टी निर्धारण हेतु निम्न समिति गठन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1.	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड	–	अध्यक्ष
2.	प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम	–	सदस्य
3.	प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
4.	अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन	–	सदस्य
5.	मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
6.	मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
7.	वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त/गढ़वाल वृत्त /शिवालिक वृत्त/उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
8.	मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन, उत्तराखण्ड	–	सदस्य
9.	श्रीमती प्रतिभा पैन्यूली, संयुक्त सचिव, वित्त, उ0शासन	--	सदस्य
10.	वित्त नियंत्रक	–	सदस्य
11.	मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, उत्तराखण्ड	–	सदस्य सचिव

2-- उक्त सनिति उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये विगत 02 वर्षों के प्रजातिवार विक्रय मूल्य के आंकडों का परीक्षण कर आगामी वर्ष के लिए प्रजातिवार रॉयल्टी का निर्धारण करेगी।

3-- समिति प्रत्येक वर्ष माह जून/जुलाई में रॉयल्टी निर्धारण हेतु बैठक आयोजित कर उसका कार्यवृत सम्बन्धितों एवं शासन को उपलब्ध करायेगी।

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव

D/2013/Karyalay Gyap

संलग्नक-21

संख्या-807/X-3-2013,तददिनांकित।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तराखण्ड।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
7. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त/गढ़वाल वृत्त/शिवालिक वृत्त/उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन, उत्तराखण्ड।
9. मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना, उत्तराखण्ड
10. श्रीमती प्रतिभा पैन्यूली, संयुक्त सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
12. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
13. वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

D/2013/Karyalay Gyap

संलग्नक-22

संख्या-४८८८/१४-४-८३-१ (७)/७६

श्री बी.एन. चन्ना, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

में,

१- मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

२- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, बी-६३२, सैक्टर-बी, महानगर, लखनऊ।

३- अपर मुख्य वन संरक्षक (प्रबन्ध) उत्तर प्रदेश, नैनीताल।

अनुभाग-(४) लखनऊः दिनांकः २०, सितम्बर, १६८३

विषय : उत्तर प्रदेश वननिगम से ली जानें वाली रायल्टी का पुनः निर्धारण।

दय,

शासन की जानकारी में यह लाया गया कि उत्तर प्रदेश वन निगम को आवंटित समस्त पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष १६८१-८२ तथा कुछ य मैदानी क्षेत्रों में १६८२-८३ से शासनादेश संख्या -१०७५८/१४-१-७७, दिनांक २६ -६-१६७७ में इंगित प्रक्रिया के अनुसार रायल्टी निर्धारण नहीं किया जा सका है क्यों कि इन क्षेत्रों में वननिगम द्वारा विगत तीन वर्षों में पूर्ण क्षेत्र में कटान कार्य करने के कारण पिछले । वर्षों के नीलाम के आंकड़े प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं। यही स्थिति वर्ष १६८३-८४ उन सभी क्षेत्रों के लिये भी उत्पन्न होगी जहाँ र वन निगम वर्ष १६८२-८३ में कटान कार्यकर रहा है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम से जी जानें वाली ल्टी के फार्मूले के पुन निर्धारण पर विचार किया गया है।

इस मामले पर विचारोपरान्त एक नए फार्मूले के निर्धारण की आवश्यकता अनुभव की गई है। अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या -११५७८/१४-१-७०-१ (७)/७६, दिनांक दिसम्बर ५, १६७८ के साथ गठित शासन के अर्द्धशासकीय पत्र सं. १०७५८/१४-१-७७, दिनांक २६ सितम्बर, १६७७ में निहित प्रक्रिया को निरस्त करते हुये राज्यपाल महोदय यह आदेश देते हैं कि इस शासनादेश के प्रस्तर -१ में इंगित क्षेत्रों एवं वर्ष १६८३-८४ तथा उसके अगले वर्षों के लिये उत्तर प्रदेश वन निगम से निम्नलिखित "फार्मूला" के अनुसार रायल्टी ली जाय :-

(१) पिछले सालकी रायल्टी में जोड़े

(२) पिछले वर्ष में निगम द्वारा बेचे गये प्रकाष्ठ भाव में जितनी प्रतिशत वृद्धि उससे पिछले वर्ष के मुकाबले हो उतनी ही वृद्धि पिछले वर्ष की निर्धारित रायल्टी में अतिरिक्त रायल्टी के रूप में जोड़े।

(३) निर्धारण वर्ष में प्रकाष्ठ के बाजार भाव में हुई असाधारण वृद्धि यदि कोई हों

आपसे अनुरोध है कि रायल्टी निर्धारण के सम्बन्ध में उक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु वन विभाग तथा उ.प्र. वननिगम के सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निदेशित करने की कृपा करें।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जो उनके अशासकीय संख्या ई-८-२०८३/दस, दिनांक १४-६-८३ द्वारा प्राप्त हुई है, जारी किये जाते हैं।

भवदीय,
ह०/-
(बी.एन. चन्ना)
सचिव

या - ४८८८ (१)/१४-४-८३-तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद को शासनादेश संख्या ११५७०/१४-१-७०(७)/७० दिनांक, ५ दिसंम्बर, १६७० के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
ह०/-
(बी.एन. चन्ना)
सचिव

संलग्नक : ५० - रायल्टी निर्धारण सूत्र

संख्या-२९७७/१४-४-८९-१ (७)/७६

प्रेषक :

श्री ओ.एन. वैद्, सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

१- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
२- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. वन निगम, महानगर, लखनऊ।
३- मुख्य वन संरक्षक, प्रबन्ध, अनुश्रवण एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, नैनीताल।

वन अनुभाग-४,

लखनऊः दिनांक ३१, अक्टूबर, १९८९

विषय : उत्तर प्रदेश वन निगम से ली जाने वाली रायल्टी की नीति का संशोधन।

महोदय,

शासन के संज्ञान में लाया गया है कि उत्तर प्रदेश वन निगम को आवंटित वन उपज की रायल्टी अलग-अलग वन प्रभागों के लिए अलग-अलग दरों पर निर्धारित होने के कारण एक ही प्रजाति की रायल्टी दरों में बहुत भिन्नता होती है जबकि प्रकाष्ठ की गुणवत्ता लगभग समान होती है। उदाहरणस्वरूप, पर्वतीय क्षेत्र में कौनिफेरस प्रजाति तथा मैदानी क्षेत्र में चौड़ी पत्ती की प्रजाति में बहुत समानता है जबकि रायल्टी दर में एक प्रभाग से दूसरे प्रभाग में बहुत अन्तर है। मामलें पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त उ.प्र. वन निगम को आवंटित वन उपज की वर्तमान रायल्टी निर्धारण नीति में संशोधन किये जाने की आवश्यकता अनुभव की गई।

२- अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या ४८८८/१४-४-८३-१ (७)/७६, सितम्बर, १९८३ के आंशिक संशोधन में श्री राज्यपाल यह आदेश प्रदान करते हैं कि वर्ष १९८८-८९ तथा उससे अगले वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश वन निगम से निम्नलिखित प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रजातिवार, वर्ष १९८७-८८ की रायल्टी दर को आधार मानकर रायल्टी निर्धारित की जायः-

(क) १- यमुना, भागीरथी व गढ़वाल वृत (लैन्सडाउन वन प्रभाग के चौड़ी पत्ती वाले क्षेत्रों को छोड़कर)
२- कुमाँयू व प्रकाष्ठ सम्मरण वृत।
३- शिवालिक व गढ़वाल वृत के लैन्सडाउन वन प्रभाग के चौड़ी पत्ती वाले क्षेत्र।
४- पश्चिमी वृत
५- केन्द्रीय व पूर्वी वृत।
६- दक्षिणी व बुन्देलखण्ड वृत।

(ख) रायल्टी निर्धारण के समय ऋणात्मक मूल्य वृद्धि को भी हिसाब में लिया जाय।

३- उक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु वन विभाग तथा उत्तर प्रदेश वन निगम के सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निदेशित किया जाय।

४- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से, जो उनके अशासकीय संख्या ई-८/२५४५/दस/८९, दिनांक १२.१०.१९८९ द्वारा प्राप्त हुई है, जारी किये जाते हैं।

भवदीय,
ह./-
(ओ.एन. वैद्)
सचिव

संख्या- २९७७ (१)/१४-४-८९, दिनांक।

१- प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को शासनादेश संख्या ४८८८/१४-४-८३-१ (७)/७६, दिनांक २०, सितम्बर, १९८३ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

२- प्रतिलिपि दिनांक १८.७.१९८९ की बैठक के कार्यवृत की एक प्रति सहित वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-८ को भी सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
(एम.सी. घिल्डियाल)
विशेष सचिव

प्रेषक,

पत्र सं0:- 133/14-2-15-500141/1993

संलग्नक-
24

श्री आर0एस0 शुक्ला,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 वन निगम,
लखनऊ।

लखनऊः दिनांक 27 मार्च 1995

विषयः- **वर्ष 1993-94 में यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ के आवंटन/मूल्य निधारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दिनांक 21.01.1995 को शीर्ष समिति की बैठक में दिये गये निर्देशानुसार वर्ष 1993-94 की अवधि में प्रदेश में उपलब्ध 1,15,000 घ0मी0 यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ प्रदेश स्थित भारी एवं लघु ईकाईयों के बीच निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ की उपरोक्त मात्रा में से गत वर्षों की भांति ही 25 प्रतिशत प्रकाष्ठ आरक्षित रखते हुए शेष प्रकाष्ठ 44-44 हजार घ0मी0 क्रमशः सेन्चुरी पल्प एण्ड पेपर मिल, लालकुंआ और मैसर्स स्टार पेपर मिल, सहारनपुर की बीच बराबर के अनुपात में आंवटित किया जाए।
2. 25 प्रतिशत प्रकाष्ठ में से लघु इकाईयों जिन्हें पूर्व में 6,000 घ0मी0टन आवंटित किया जाता है। उनकी आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त करके यदि प्रकाष्ठ की आवश्कता है गत वर्ष की भांति उन्हें 6,000 घ0मी0टन आवंटित किया जाए। अन्यथा इसका निस्तारण आदि के रूप में स्थानीय आवश्कता के आपूर्ति हेतु नीलामी द्वारा किया जाए।
3. आवंटन राशी पेपर मिलों से नियमानुसार 2-1/2 प्रतिशत जमानत लीं जाए, जिसका समायोजन इकाईयों की ओर से कोई अनियमितता न होने पर सम्मिलित किया जाएगा। अनिमितियता निर्गत होने की तिथि से एक माह का समय जमानत आदि की औपचारिकताएं पूरी करने और प्रकाष्ठ उठाने हेतु तीन माह का समय अनुमन्य किया जाए।
4. पिछले वर्ष 1992-93 में स्टार पेपर मिल साहरनपुर को आवंटित 25,000 घ0मीं0टन में से उठान हेतु अवशेष प्रकाष्ठ को दिनांक 31.03.1995 तक उठाने के लिए अवधि विस्तार दिया जाए।
5. प्रबन्ध निदेशक वन निगम द्वारा सूचित वर्ष 1992-93 का डिपो मे एकत्र लगभग 6,000 घ0मी0टन यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ स्टार पेपर मिल को वर्ष 1992-93 की रू0 1320.00 (रूपये एक हजार तीन सौ बीस मात्र) घ0मी0टन की दर से आवंटित कर दिया जाए।
6. वर्ष 1993-94 के यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ का मूल्य रूपये 1,410.00 (रू0 एक हजार चार सौ दस) प्रति घ0मी0टन निर्धारित किया जाता है। इस मूल्य में बिक्री कर व अन्य देय स्थानीय कर सम्मलित नहीं है। जो क्रेता द्वारा अलग से देय होंगे।
7. वन निगम यूकेलिप्टस से प्राप्त मूल्य का 55 प्रतिशत अंश वन विभाग को रायल्टी के रूप में देगा।

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएः-

1. वन निगम उपलब्ध यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ में से 50 प्रतिशत को बल्ली तथा चिरान के प्रकाष्ठ के साईजों में कटान करे, जिससे इस प्रकार की मोटी लकडियों का खुले बाजार में विक्रय किया जा सके। जिन क्षेत्रों में यूकेलिप्टस को कटाने का कार्य धीमी गति से चल रहा है उसके सम्बन्ध में वन निगम के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा प्रगति विवरण से शासन को निरन्तर अवगत कराया जाए।
2. वर्ष 1994-95 में यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ के आवंटन/मूल्य निर्धारण का प्रस्ताव भी शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाएं।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0
आर0एस0 शुक्ला,
विशेष सचिव

..........2

संलग्नक-26

पत्र सं0:– 133/14–2–15–500141/1993 उक्तदिनांकि।

प्रतिलिपः– निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, भारी उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं नियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्या वन संरक्षक, प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, नैनीताल।
6. उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
7. महालेखाकार–द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
8. वन उपयोग अधिकारी, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
9. वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग–5

आज्ञा से,
ह0
आर0एस0 शुक्ला,
विशेष सचिव।

संलग्नक-25

संलग्नक : ५२ - यूकेलिप्टस रायल्टी

संख्या-४३७२/१४-२-९४-५००(४)

प्रेषक,

आर.एस.शुक्ला,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री चन्द्र गुप्त,
प्रबन्ध निदेशक,
उ.प्र. वन निगम

वन अनुभाग-२

महोदय,

लखनऊ : दिनांक : २६-११-१९९४

यूकेलिप्टस प्रकाष्ठ के लिए वर्ष १९९१-९२ तथा वर्ष १९९२-९३ में निर्धारित मूल्य क्रमशः रु.११७२ तथा रु. १३२० में वन विभाग को देय रायल्टी के प्रतिशत निर्धारण का बिन्दु वन सचिव के सम्मुख दिनांक २९-९-९४ को आप द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त दो वर्षों में यूकेलिप्टस के प्राप्त मूल्य का ५५ प्रतिशत अंश वन विभाग को देय रायल्टी का होगा। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करें तथा तदनुसार भुगतान की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह०
(आर.एस. शुक्ला)
विशेष सचिव।

संख्या :३७९२(२)/१४-२-९७.३००(५१)/१९९७/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१- मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं नियोजन, उ.प्र., लखनऊ।

२- मुख्य वन संरक्षक, प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण, उ.प्र., नैनीताल।

ह०
(आर.एस. शुक्ला)
विशेष सचिव।

संलग्नक-26

रॉयल्टी निर्धारण के संबंध में प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 31.10.2014 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति :-

1. श्री श्रीकान्त चन्दोला, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
2. श्री एस.टी.एस.लेप्चा, अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड।
3. श्री ए0आर0 सिन्हा अपर प्रमुख वन संरक्षक (कार्य योजना)।
4. श्री डी0के0 पांगती, महाप्रबन्धक (उत्पादन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
5. श्री एम.एस. पाल, क्षेत्रीय प्रबन्धक, टिहरी क्षेत्र।
6. श्री मनोज चन्द्रन, अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बैठक आयोजित किये जाने के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। बैठक में रॉयल्टी निर्धारण के संबंध में विस्तृत विचार-विमर्श हुआ और निम्न निर्णय लिए गये:-

1. पश्चिमी वृत्त के अंतर्गत खटीमा एवं सुरई क्षेत्र के प्रकाष्ठ की रॉयल्टी दरों को पश्चमी वृत के शेष क्षेत्रों की रॉयल्टी दरों में एकरूपता लाने हेतु यह निर्णय लिया गया कि दोनों क्षेत्रों के कुल प्रकाष्ठ उत्पादन के आधार पर वर्तमान रॉयल्टी दरों का weighted average लेते हुए रॉयल्टी निर्धारण समिति के माध्यम से नियमानुसार रॉयल्टी निर्धारित कर शासन को सूचित किया जाय।

   (कार्यवाही-रॉयल्टी निर्धारण समिति, वन विभाग)

2. वन निगम के माध्यम से वृक्षों के पातन हेतु छपान व्यय हेतु बजट की समय से अनुपलब्धता तथा छपान कार्य समान्यतः मार्च-अप्रैल महीनों में जो दो वित्तीय वर्षों में अदिच्छादी होने के कारण यह निर्णय लिया गया कि संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी को छपान कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उत्तराखण्ड वन विकास निगम से अग्रिम के रूप में प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाय, जो विभागीय बजट उपलब्ध होने पर अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम को एक मुश्त वापस कर देगा, जिसके लिए आवश्यक शासनादेश निर्गत किया जाय। इस निर्णय पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई।

   (कार्यवाही-शासन का वन अनुभाग-3)

3. विकास कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होने पर प्रभावित वृक्षों के उत्तराखण्ड वन विकास निगम के माध्यम से पातन हेतु समस्त व्यय (पातन व्यय, विद्युत विभाग को बिजली कटौती व तार हटाने हेतु व्यय एवं अन्य नागरिक सेवाओं आदि के लिए) याचक विभाग द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम को उपलब्ध कराया जायेगा। इसे एक शर्त के रूप में वन भूमि हस्तान्तरण के शासनादेश में सम्मिलित किया जाय।

   (कार्यवाही-शासन का वन अनुभाग-4)

अंत में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(डॉ0 रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

......2

D/F-3/karyavrit/2014

संलग्नक-26

(2)

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3
संख्याः–   /X-3-14-08(27)/2010
देहरादूनः दिनांकः– 11 नवम्बर, 2014

संख्या– 1314 /X–3–14/तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री श्रीकान्त चन्दोला, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
2. श्री एस.टी.एस.लेप्चा, अपर प्रमुख वन संरक्षक (नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन)।
3. श्री ए0आर0 सिन्हा अपर प्रमुख वन संरक्षक (कार्य योजना)।
4. श्री वी0के0 पांगती, महाप्रबन्धक (उत्पादन), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
5. श्री एम.एस. पाल, क्षेत्रीय प्रबन्धक, टिहरी क्षेत्र।

आज्ञा से,

(विवेक कुमार जैन)
अनु सचिव

arayavrit/2014

संलग्नक-27

वन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम से देय रायल्टी दर संशोधन विषयक

संक्षिप्त नोटः-

उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात 01 अप्रैल 2001 को उत्तराखण्ड वन विकास निगम का गठन किया गया। वर्ष 2012-13 तक रायल्टी का निर्धारण उत्तर प्रदेश वन निगम के शासनादेशों के अनुरूप किया जाता रहा। तत्पश्चात **उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग-03 के पत्रांक-507/X-3-2013-8(27)2010 दिनांक 26.06.2013 से निम्नानुसार निहित प्रक्रियानुसार रायल्टी निर्धारण किया जा रहा है।**

1. इस शासनादेश के कम में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में रायल्टी निर्धारण हेतु समिति का गठन किया गया।
2. उक्त समिति उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये विगत 02 वर्षों के प्रजातिवार विक्रय मूल्य के आंकडों का परीक्षण कर आगामी वर्ष के लिए प्रजातिवार रायल्टी का निर्धारण करेगी।
3. समिति प्रत्येक वर्ष माह जून/जुलाई में रायल्टी निर्धारण हेतु बैठक आयोजित कर उसका कार्यवृत्त सम्बन्धितों एवं शासन को उपलब्ध करायेगी।

उत्तराखण्ड के उक्त शासनादेश दिनांक 26.06.2013 में रायल्टी निर्धारण की प्रकिया को उत्तर प्रदेश शासन के वन अनुभाग-4 के पत्र संख्या-4888/14-4-4-83-1(7)/76, दिनांक 20.09.1983 एवं पत्र संख्या-2977/ 14-4-4-83-1(7)/76, दिनांक 31.10.1989 में निहित प्रकिया के अनुसार ही रायल्टी निर्धारण किया जा रहा है।

वर्तमान में वन विकास निगम को वन विभाग द्वारा आवंटित लौटें सामान्यतः रूग्ण, सूखे उखड़े वृक्षों की आवंटन की जाती है जिसमें सभी प्रजातियों में श्रेणी-01 की मात्रा या तो शून्य है या 05% से कम है। अधिकांश मात्रा निम्न श्रेणी की है। **जबकि वर्ष 1977 में उत्तर प्रदेश के रायल्टी निर्धारण के उक्त फार्मूले के समय उत्तर प्रदेश वन निगम को आंवटित किये जाने वाले वृक्ष हरे खडे वृक्षों की लौटें होती थी, जिसमें उस समय नीलाम प्रक्रिया में प्राप्त विक्रय दर को रायल्टी के लिए आधार बनाया गया।**

वर्ष 2001 से उत्तराखण्ड वन विकास निगम को काबिल एवं हरे वृक्षों से उत्पादित होने वाला **श्रेणी-1 का प्रकाष्ठ नगण्य मात्रा में प्राप्त हो रहा है। प्रजातियों के आधार पर प्राप्त विक्रय मूल्य निम्न श्रेणियों के प्रकाष्ठ का प्राप्त मूल्य है,** जो वर्ष 1977 के समयावधि में हरे वृक्षों के कटान से प्राप्त रायल्टी दरें वर्तमान में सूखे, गिरे वृक्षों के कटान से प्राप्त विक्रय दरों से अधिक हो गयी हैं।

कतिपय प्रजातियों में ही वर्तमान रायल्टी दर औसत बाजार मूल्य के काफी अधिक है, जिससे वन विकास निगम को निरन्तर हानि हो रही है। **ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग- 03 के पत्रांक-507/X-3-2013-8 (27)2010 दिनांक 26.06.2013 के अनुसार रायल्टी निर्धारण की प्रकिया में बदलाव किया जाय।** ***यहाँ पर यह उल्लेख किया जाना समीचीन होगा कि अपर प्रमुख वन संरक्षक, (का0यो0) उत्तराखण्ड, हल्द्वानी की पत्र संख्या-795/9-1/दिनांक 23.06.2015 द्वारा रायल्टी निर्धारण की बैठक के जारी कार्यवृत्त में भी रायल्टी निर्धारण की प्रकिया में बदलाव किये जाने की पुष्टि होती है। इस कार्यवृत्त में यह उल्लेख किया गया कि सरकार द्वारा ली जाने वाली रायल्टी प्रकाष्ठ के विकय मूल्य से अधिक कई सालों तक नही रखी जा सकती है, क्योंकि ऐसा करने से वन विकास निगम हानि पर चला जायेगा।***

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

(प्रधान कार्यालय प्रबन्ध निदेशक)

अरण्य विकास भवन, 73 नेहरू रोड़, देहरादून 248001 दूरभाष 0135–2657610, फैक्स 0135–2655488

पत्रांक ए0 – 754 /रायल्टी निर्धारण (2022–23) /दिनांक 23.05.2023

(ई–मेल द्वारा) संलग्न सहित

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषयः– वर्ष 2022–23 की रायल्टी रायल्टी दरों का निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वर्ष 2022–23 में वन प्रभागों द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम को **आवंटित लौटों की रायल्टी निर्धारण हेतु उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या–507/X-3-2013-8(27)2010 दिनांक 26.6.2013** में दी गयी निहित **प्रक्रियानुसार वर्ष 2020–21 एंव 2021–22, विगत 02 वर्षों के** प्रजातिवार **विक्रय मूल्य के आंकड़े अंकेक्षित बैलेन्शीट के अनुसार** उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा **वर्ष 2022–23 की रायल्टी निर्धारण हेतु संलग्न कर निम्न विवरणानुसार प्रेषित किये जा रहे हैं:–**

(अ)
- सारणी–1 पश्चिमी वृत्त (खटीमा एवं सुरई रेंज सहित)।
- सारणी–2 उत्तरी एवं दक्षिणी कुमाँऊ वृत्त।
- सारणी–3 शिवालिक वृत्त।
- सारणी–4 गढ़वाल/भागीरथी/यमुना वृत्त।
- सारणी–5 कोमल काष्ठ प्रजातियों की रायल्टी दर (सम्पूर्ण राज्य हेतु)।
- सारणी–6 यूकेलिप्टस की रायल्टी दर (सम्पूर्ण राज्य हेतु)।
- सारणी–7 चीड़ गुलिया की रायल्टी दर (सम्पूर्ण राज्य हेतु)।
- सारणी–8 चीड़ फर्राटा की रायल्टी दर (सम्पूर्ण राज्य हेतु)।

(ब)
1. उत्तराखण्ड वन विकास निगम के **वर्ष 2021–22 में क्षेत्रवार, प्रजातिवार विक्रय का विवरण।**
2. वन विभाग के वृत्तवार औसत विक्रय दर का वर्ष, 2020–21 एवं 2021–22 का तुलनात्मक विवरण।
3. कोमल काष्ठ का औसत विक्रय दर का वर्ष, 2020–21 एवं 2021–22 का तुलनात्मक विवरण।
4. मुख्य वन संरक्षक, कार्ययोजना, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी की पत्र संख्या–148/8–2 (25)/रायल्टी निर्धारण (2021–22), दिनांक 26.08.2022 द्वारा जारी कार्यवृत्त के मद संख्या–06 में दिये गये निर्देशानुसार पश्चिमी वृत्त, खटीमा एवं सुरई रेंज सहित, दोनों क्षेत्रों के प्रकाष्ठ उत्पादन के आधार पर वर्ष 2021–22 की रायल्टी दरों का Weighted average लेते हुए रायल्टी निर्धारण।

रायल्टी निर्धारण हेतु संलग्न विवरण को वन विकास निगम की वैबसाईट **www.ukfdc.uk.gov.in** से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

अतः अनुरोध है कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–507/X-3-2013-8(27)2010 दिनांक 26.6.2013 के अनुसार एवं उत्तर प्रदेश शासन से पूर्व में निर्गत शासनादेशों में निहित प्रक्रियानुसार **विगत 02 वर्षों में हुई कमी/वृद्धि का संज्ञान लेते हुए कॉलम संख्या–06 में प्रस्तावित रायल्टी दर के अनुसार वर्ष 2022–23 की रायल्टी निर्धारण हेतु** वृत्तवार विवरण निर्धारित प्रारूप में इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है **कि रायल्टी निर्धारण हेतु बैठक की तिथि एवं समय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून से निर्धारित करवाकर सम्बन्धित अधिकारियों को भी सूचित करने का कष्ट करें।**

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(के0एम0 राव)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक ए0:– /तद्‌दिनॉकित।

प्रतिलिपिः–उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–507/**X-3-2013-8(27)2010**दिनांक 26.6.2013 के कम में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड।
2. महानिदेशक, प्रशिक्षण प्रबन्धन एंव अनुसंधान, उत्तराखण्ड।

संलग्नक :– यथोपरि

(के0एम0 राव)
प्रबन्ध निदेशक

UNIYAL SIR\ROYALTY NIRDHARAN\Royalty Nirdharan 2020-21